

**संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल**

क्रमांक/स्था./अ-3-अ/AEO/दिव्यांग/ 2024/ **1869**

भोपाल, दिनांक **03** सितम्बर 2024

कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-03 संवर्ग के निःशक्तजनों (दिव्यांगजन) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन (वर्ष 2024)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ. प्र. / एक, दिनांक 31.05.2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2019 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के परिपालन में दिव्यांगजनों के लिए बैकलाग के पदों सहित चिन्हांकित किए गए निम्नांकित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु " **वॉक-इन-इंटरव्यू**" (Walk-in-Interview) के माध्यम से निम्नानुसार की जाना है:-

1. पदों का विवरण:-

स. क्र.	दिव्यांग श्रेणी का विवरण	कृषि विस्तार अधिकारी के भर्ती हेतु पदों की संख्या	सहायक ग्रेड-03 के भर्ती हेतु पदों की संख्या
1	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VH)	76	11
2	बहरे और कम सुनने वाले (EH)	81	11
3	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)	66	8
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता (MD)	90	10
	योग	313	40

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:- दिनांक 06.09.2024 से 30.09.2024 तक तथा आवेदन संशोधन दिनांक 03.10.2024 तक रहेगी।

3. ऑनलाईन आवेदन भरने की उपलब्धता- एम. पी. ऑनलाईन लिमिटेड, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं एवं एम. पी. ऑनलाईन के किसी भी कियोस्क केन्द्र के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जा सकता है।

4. सामान्य शर्त:-

4.1 मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं परीक्षा से सम्बंधित समस्त विस्तृत विवरण/ नियम पुस्तिका एम. पी. ऑनलाईन लिमिटेड, मध्यप्रदेश भोपाल की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर एवं संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. की वेबसाईट <https://mpkrishi.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।

4.2 आवेदकों के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं आवेदन नियम पुस्तिका (रूल बुक) में उल्लेख अनुसार होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पद के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

विशेष नोट: सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कंप्यूटर / टंकण / लिपिकीय त्रुटि पायी जाती है तो संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. किसी भी स्तर पर वैध सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है।


संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

**संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश भोपाल**

क्रमांक/स्था./अ-2-6/दिव्यांग/ 2024-25/1871

भोपाल, दिनांक 03 सितम्बर 2024

दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु नियमावली (संशोधित रूल बुक)

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2029, National Federation of Blind MP Branch विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 30 जनवरी 2024 को पारित निर्णय के परिपालन में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04.01.2024 , दिनांक 14.02.2024 तथा 31.05.2024 के माध्यम से विभाग में दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में संचालनालयीन ई-नस्ती क्र. AGR/0128/2024-ESTB-FWAD (Computer No. 344640) पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के परिपालन में संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ मा. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अध्ययनधीन विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत सहायक ग्रेड-03 के पद हेतु दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति "Walk-in-interview" के माध्यम से किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जीवित दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन- पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. दिव्यांग श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण:-

पद नाम: सहायक ग्रेड-03 (लिपिकीय अकार्यपालिक)

स. क्र.	दिव्यांग श्रेणी का विवरण	भर्ती हेतु पदों की संख्या	रिमार्क
1	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VH)	11	विज्ञापित पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
2	बहरे और कम सुनने वाले (EH)	11	
3	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (LD)	8	
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता (MD)	10	
	योग	40	

31/9/24

31/9/24

2. **निर्धारित शैक्षणिक अर्हता:-** (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से न्यूनतम एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण, (3) मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test- CPCT) हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता ही लागू होगी)
3. **वेतनमान:-** सातवां पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 19500/- से 62000/- (लेबल 4)
- 3.1 विभागीय अधीनस्थ कृषि (लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम 1972 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
- 3.2 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/ एफ- 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13 अप्रैल 2005 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9-11/2017/नियम/चार दिनांक 25 जून 2018 व अन्य समय- समय पर जारी अन्य पत्रों के परिपालन में राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) लागू होगी।
4. **पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा:-**
- 4.1 अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2024 से निर्धारित की जावेगी।
- 4.2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8 / 2016 /1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

भर्ती का तरीका	न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ावर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / निःशक्तजन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 वर्ष

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन "Walk-in-interview"/अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31/9/2024

31/9/24

4.3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3, दिनांक 22.02.2022 में प्रावधानुसार विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाकर आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है, इसमें शामिल विभिन्न वर्गों का विवरण निम्नानुसार है-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence Forces Personnel-Ex Servicemen - other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" एवं "डी" प्रमाण पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को	सी-2
10	राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स	-

5. दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:- अभ्यर्थी अपने आवेदन- पत्र www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से भरना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, रूल बुक एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://mpkrishi.mp.gov.in> अथवा एम. पी. ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
7. आवेदन शुल्क:- आवेदन शुल्क रूपये 250/- (GST पृथक से) प्रति आवेदन हेतु निर्धारित है। आवेदन शुल्क को एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यू. पी. ई. / वालेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी।
8. चयन प्रक्रिया:-
 - 8.1 अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक होने की स्थिति में चयन "Walk-in-interview" के आधार पर होगा। विभिन्न दिव्यांग श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को "Walk-in-interview" हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची एम. पी. ऑनलाईन तैयार की जावेगी, प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी:-

4.3 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3, दिनांक 22.02.2022 में प्रावधानुसार विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाकर आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है, इसमें शामिल विभिन्न वर्गों का विवरण निम्नानुसार है-

01	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
02	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
03	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence Forces Personnel-Ex Servicemen - other ranks) को	ए-3
04	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
05	अतिशेष कर्मचारियों को	बी
06	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
07	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
08	राष्ट्रीय छात्र (NCC) के उम्मीदवारों को जिनके पास "सी" एवं "डी" प्रमाण पत्र	सी-1
09	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को	सी-2
10	राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स	-

5. दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:- अभ्यर्थी अपने आवेदन- पत्र www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से भरना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता, रूल बुक एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://mpkrishi.mp.gov.in> अथवा एम. पी. ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
7. आवेदन शुल्क:- आवेदन शुल्क रुपये 250/- (GST पृथक से) प्रति आवेदन हेतु निर्धारित है। आवेदन शुल्क को एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यू. पी. ई. / वॉलेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी। आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु पृथक से "Correction Fee" रुपये 50/- (GST पृथक से) प्रति आवेदन हेतु देय है।
8. चयन प्रक्रिया:-
 - 8.1 अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक होने की स्थिति में चयन "Walk-in-interview" के आधार पर होगा। विभिन्न दिव्यांग श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के तीन गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को "Walk-in-interview" हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची एम. पी. ऑनलाईन तैयार की जावेगी, प्रावीण्य सूची तैयार करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी:-

31/09/2024

31/9/24

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ. प्र./ एक, दिनांक 31.05.2024 के परिपालन में हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा हेतु 50 प्रतिशत अंक तथा कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) हेतु 50 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे। CPCT में हिन्दी टायपिंग एवं कम्प्यूटर योग्यता के ही अंक शामिल होंगे। इस प्रकार कुल 100 अंकों में से प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान है तो हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जावे।

- 8.2 अभ्यर्थियों का चयन "Walk-in-interview" के माध्यम से होगा। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल द्वारा "Walk-in-interview" के लिए आवश्यक कार्यवाही पृथक से की जावेगी।
- 8.3 अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से कम होने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन एम. पी. ऑनलाईन द्वारा विन्दु क्रमांक 8.1 में उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।
- 8.4 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कार्य एम. पी. ऑनलाईन से प्राप्त प्रावीण्य सूची के आधार पर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल द्वारा कराया जावेगा।

9. अभ्यर्थियों की मुख्य सूची (चयन सूची) तथा प्रतीक्षा सूची (अनुपूरक सूची) जारी करना:- संयुक्त प्रवीण्य सूची के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या के लिये अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी अनुसार मुख्य सूची/चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1-3, दिनांक 10.10.2016 की कंडिका 03 एवं 04 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले) प्रभावी रहेगी।

10. नियुक्ति के लिए एम. पी. ऑन लाईन की अनुशंसाएँ:-

- 10.1 एम. पी. ऑनलाईन चयनित अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 9 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल को अनुशंसा करेगा।
- 10.2 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और एम. पी. ऑनलाईन द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपाचारिकताएँ पूरी करेगा तथा नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- 10.3 एम. पी. ऑनलाईन द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन जारी अभिलेखों का परीक्षण ऑनलाईन एवं अभ्यर्थी का आधारकार्ड के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सकेगा।
- 10.4 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

La
31/9/2024

24-9
31/9/24

11. आरक्षण -

11.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक 18105/2021 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्ययन लंबवत (वर्तीकल) आरक्षण अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2029, National Federation of Blind MP Branch विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 30 जनवरी 2024 को पारित निर्णय के परिपालन में विभाग में दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जा रही है। सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की Website- <http://gad.mp.gov.in> पर जाएँ।

11.2 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है:-

"किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।"

11.3 सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:-

1	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2	बहरे और कम सुनने बाने,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

31/12/24

11.4 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 52 दिनांक 25 जनवरी 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 नियम 2 में उप नियम (ख) के द्वारा परिभाषित किया गया है:-

"बैचमार्क दिव्यांगता" से अभिप्रेत है, चालीस प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाला कोई व्यक्ति,"

विज्ञापित पदों के लिये लिये "बैचमार्क दिव्यांगता" के साथ "निर्धारित शैक्षणिक अर्हता" रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

12. निरर्हता: -

12.1 एम. पी. ऑनलाईन अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर, किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। एम. पी. ऑनलाईन ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

12.2(क) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरुष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या उसकी एक पत्नी जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

13. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति - उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिये और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई उम्मीदवार जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति: प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने की संभावना हो।

3/9/2024

3/9/24

14. आवेदनों का रद्द किया जाना:- ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ आवेदन शुल्क नहीं है या विधिमान्य अभिलेख अपलोड नहीं किये गये हैं, रद्द कर दिये जाएंगे तथा एम. पी. ऑनलाईन का विनिश्चय अंतिम होगा।

15. आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश :-

- 15.1 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 15.2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/ 2016 / 1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जिसको "Walk-in-interview" /अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 15.3 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
- 15.4 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ. प्र./ एक, दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.5 के अनुसार दिव्यांग के लिए चिन्हांकित रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी
- 15.5 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-9/ 2016 / 1-3, दिनांक 10.10.2016 के अनुसार भर्ती परीक्षा विज्ञापनों उल्लेखित पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- 15.6 शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता /सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के अपलोड कर प्रेषित करेंगे तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 15.7 चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/ निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 15.8 वांछित समस्त प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की छायाप्रतियों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत ही प्रमाण पत्रों की प्रति ऑनलाईन अपलोड की जावे।
- 15.9 आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- 15.10 चयनित अभ्यर्थियों को संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल अथवा संचालनाल के अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।
- 15.11 यह कि आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि , स्थाई जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), /EWS/ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/ उपाधि अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां ऑनलाईन अपलोड की जाये।

31/9/2024

31/9/24

- 15.12 यह कि दिव्यांगजनों के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/ चिकित्सक/ दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- 15.13 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- 15.14 अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
- 15.15 दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
- 15.16 यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- 15.17 यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जावेगा।
- 15.18 अभ्यर्थी के चयन अथवा चयन उपरांत नियुक्त के संबंध में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- 15.19 किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन अभिप्राप्त किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।
- 15.20 यह कि बिना किसी पूर्व सूचना के चयन को स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को रहेगा।
(संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)


उप संचालक (स्थापना)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

User Manual for Profiling & Application

Step 1:

Candidate has to login through below Page (Registered candidate)

<https://iforms.mponline.gov.in/Profile/Login>



Powered by MPOnline Limited

Process to fill Application Form:

Step 1: To create new account, click on link given on right side 'Not registered ? Create account.'

Step 2: Then create your username and password in the registration page.

Step 3: After login when you land up on Home Page, to create your full profile with personal details, qualifications, experience details, enclosures, etc. click on 'Profile Section' link.

Step 4: After creating profile, click on 'Running Application Forms' link to fill application form, and click on payment button to pay the fees.

Step 5: For the payment of unpaid applications or print duplicate receipt, click on 'My Filled Applications / Receipt' link on Home Page.

Customer Care (08:30 AM - 08:30 PM):-
for technical problem - MPOnline Office 0755-6720200

आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया:

चरण 1: नया खाता बनाने के लिए, दाईं ओर दिए गए लिंक पर क्लिक करें 'Not registered ? Create account.'

चरण 2: फिर पंजीकरण पेज पर अपना यूजरनेम एवं पासवर्ड बनाएं।

चरण 3: लॉगिन करने के बाद जब आप होम पेज पर आते हैं, तो व्यक्तिगत विवरण, योग्यता, अनुभव विवरण, अन्य विवरण के साथ अपना पूर्ण प्रोफाइल बनाने के लिए 'प्रोफाइल भरें' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4: प्रोफाइल बनाने के बाद, आवेदन फॉर्म भरने हेतु 'आवेदन पत्र भरें' लिंक पर क्लिक करें और शुल्क का भुगतान करने के लिए भुगतान बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: आवेदन के भुगतान या ड्रिफ्ट रसीद प्राप्त करने हेतु होम पेज पर 'भरे हुए आवेदन / रसीद' लिंक पर क्लिक करें।

ग्राहक सेवा (सुबह 08:30 बजे - शाम 08:30 बजे):-
तकनीकी समस्या हेतु - एमपीऑनलाइन कार्यालय 0755-6720200

G2G Login

Sign In

Enter Username and Password...
and won't take longer than a couple of seconds

Username

Password

Captcha

7F4FD6 Captcha

Login

[Not registered ? Create account.](#)

[Forgot profile username? Click to know](#)

[Forgot profile password? Click to reset](#)

Candidate has to make registration through below Page by creating id & password (Only for new Registration). Screen will be looked as below:

<https://iforms.mponline.gov.in/Profile/Registration>

Applicant Profile Registration

* marked fields are mandatory.

Personal Details

Applicant's First Name* (Don't write Mr./ Mrs./ Miss)		Applicant's Last Name	
Father's Name* (Don't write Mr.)		Mother's Name* (Don't write Mrs.)	
Date of Birth (dd/mm/yyyy)*		Gender*	☐ Male ☐ Female
(As per class 10th mark sheet or birth certificate)			
Category*	☐ अनारक्षित (UR)	☐ अनारक्षित (UR-EWS)	☐ अनुसूचित जाति (SC)
	☐ अनुसूचित जनजाति (ST)	☐ अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रौमीलेयर को छोड़कर (OBC)	
Mobile No*		Email*	
(Please enter your mobile and email to get password.)			

Login Details

Username*		
Password*		Confirm password*

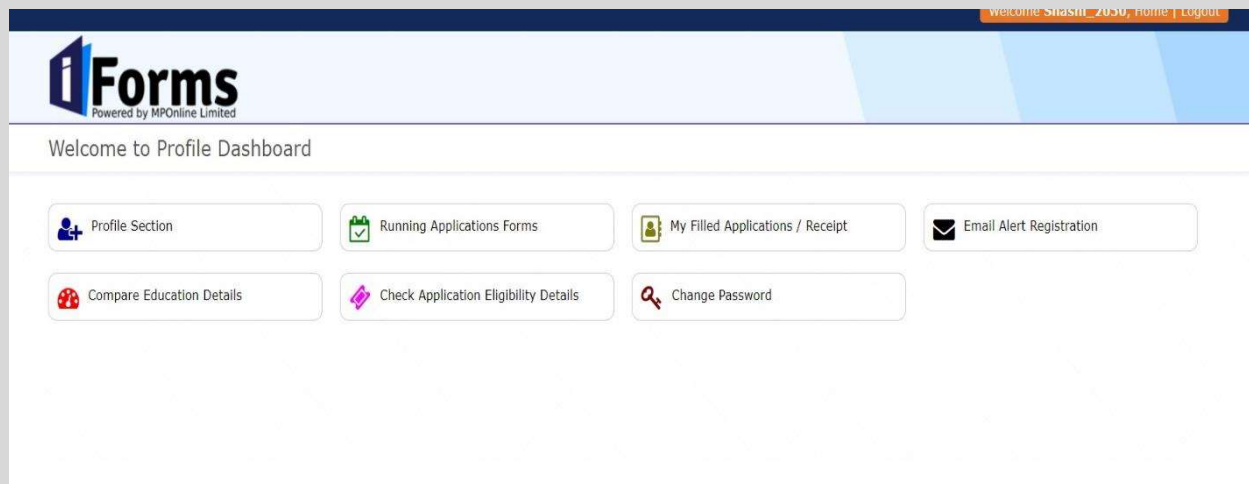
(Note:- Password requires at least 1 lowercase letter, 1 uppercase letter, 1 number, 1 special character, but cannot contain whitespace and must be at least 8 characters long.)

5CD8FB

Captcha

Submit

Below Screen will be appeared after successfully Logged IN:

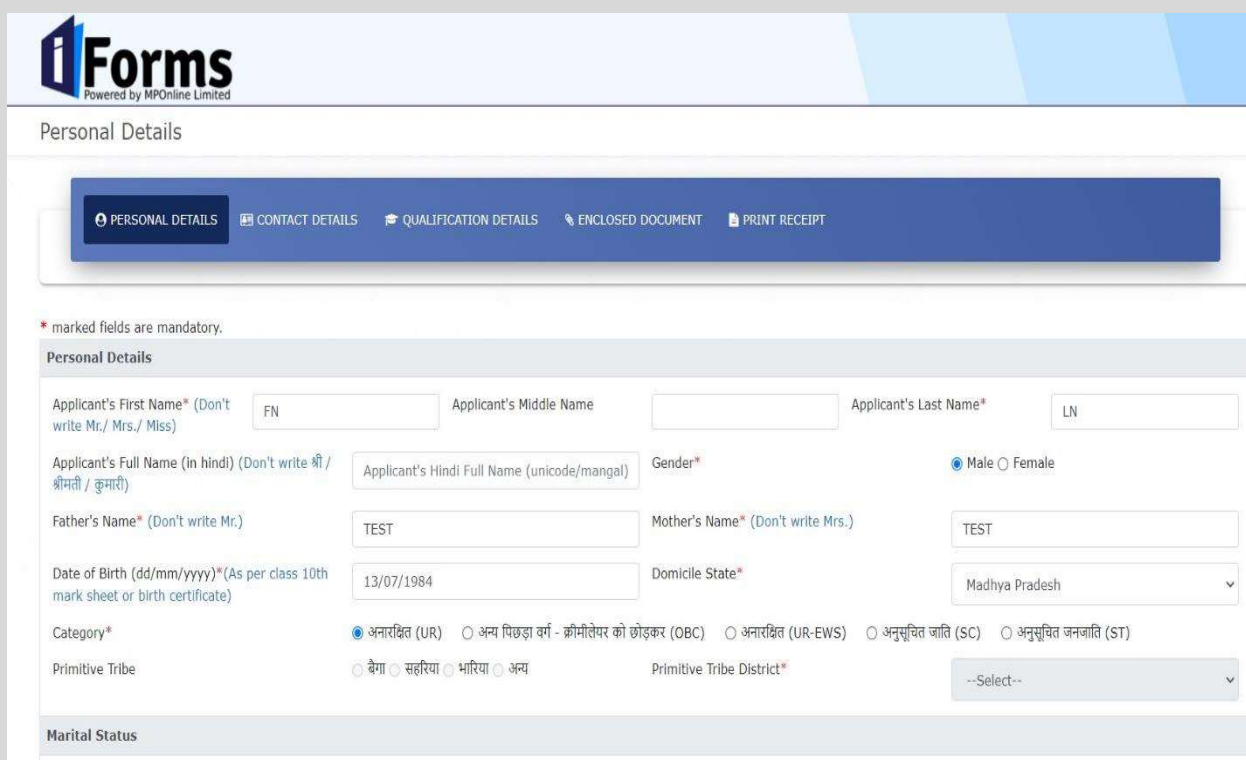


The screenshot shows the 'iForms' Profile Dashboard. At the top, there's a header with the 'iForms' logo and 'Powered by MPOnline Limited'. Below the header, a welcome message 'Welcome to Profile Dashboard' is displayed. The dashboard features a grid of seven buttons: 'Profile Section' (with a person icon), 'Running Applications Forms' (with a calendar icon), 'My Filled Applications / Receipt' (with a document icon), 'Email Alert Registration' (with an envelope icon), 'Compare Education Details' (with a magnifying glass icon), 'Check Application Eligibility Details' (with a checkmark icon), and 'Change Password' (with a key icon).

Step 2:

Complete Profile section by filling below details as per the post candidate is applying for: - (Screen will be looked as below).

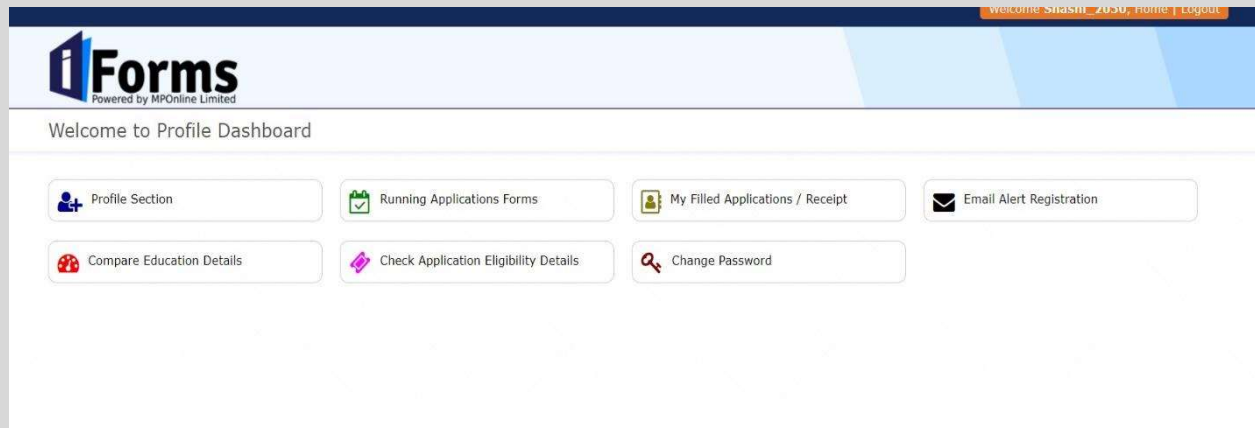
1. Personal Details
2. Contact Details
3. Qualification Details
4. Enclosed Documents



The screenshot shows the 'iForms' Personal Details form. The header includes the 'iForms' logo and 'Powered by MPOnline Limited'. Below the header, the title 'Personal Details' is displayed. A navigation bar contains five tabs: 'PERSONAL DETAILS' (selected), 'CONTACT DETAILS', 'QUALIFICATION DETAILS', 'ENCLOSED DOCUMENT', and 'PRINT RECEIPT'. A note states '* marked fields are mandatory.' The form fields are as follows: 'Applicant's First Name*' (FN), 'Applicant's Middle Name', 'Applicant's Last Name*' (LN), 'Applicant's Full Name (in hindi) (Don't write श्री / श्रीमती / कुमारी)' (Applicant's Hindi Full Name (unicode/mangal)), 'Gender*' (Male selected, Female), 'Father's Name*' (TEST), 'Mother's Name*' (TEST), 'Date of Birth (dd/mm/yyyy)*(As per class 10th mark sheet or birth certificate)' (13/07/1984), 'Domicile State*' (Madhya Pradesh), 'Category*' (अनारक्षित (UR) selected, अन्य पिछड़ा वर्ग - क्रौमोलेपर को छोड़कर (OBC), अनारक्षित (UR-EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)), 'Primitive Tribe' (बैगा selected, सहरिया, भारिया, अन्य), 'Primitive Tribe District*' (--Select--), and 'Marital Status'.

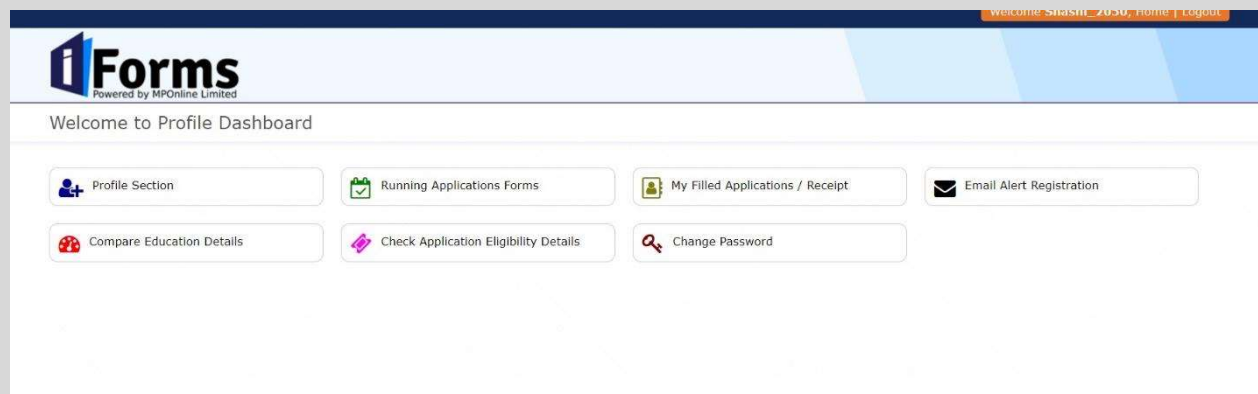
Step 3:

Once Profile is successfully created, Candidate can check their eligibility for the post applying by clicking on “Check Application Eligibility Details” so candidate can update their details accordingly...



Step 4:

a). Once Profile is successfully created, kindly go through link “**Running Application forms**” for **applying the application** (Screen will be looked as below).



b). kindly choose the department and click on respective link “**Apply**” for application in Recruitment:

	Madhya Pradesh Industrial Development Corporation					
90	Recruitment For The Post Of Manager - No.01/2023/	RuleBook Corrigendum Notification	Application Form Pay Unpaid/Receipt Edit/Rectification	06/04/2023 06/04/2023 03/05/2023	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023	Apply Apply Apply
91	Recruitment For The Post Of Junior Engineer - No.02/2023/	RuleBook Corrigendum Notification	Application Form Pay Unpaid/Receipt Edit/Rectification	06/04/2023 06/04/2023 03/05/2023	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023	Apply Apply Apply
99	Recruitment Of The Post Of Assistant Engineer (Civil)	RuleBook Corrigendum Notification	Application Form Pay Unpaid/Receipt	03/05/2023 03/05/2023	10/06/2023 10/06/2023	Apply Apply
	Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited					
95	RECRUITMENT NOTIFICATION FOR VARIOUS POSTS ON CONTRACTUAL - Advt. No 1719/HRD/MPMRCL-29/2023	RuleBook Corrigendum Notification	Application Form Pay Unpaid/Receipt	02/05/2023 02/05/2023	28/05/2023 28/05/2023	Apply Apply
96	RECRUITMENT NOTIFICATION FOR VARIOUS POSTS ON DEPUTATION&RE-EMPLOYMENT- AdvtNo1720/HRD/MPMRCL-30/2023	RuleBook Corrigendum Notification	Application Form Pay Unpaid/Receipt	02/05/2023 02/05/2023	28/05/2023 28/05/2023	Apply Apply
	MADHYA PRADESH STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.					
97	Advertisement for Internship Program	RuleBook Corrigendum Notification	Application Form Pay Unpaid/Receipt	25/04/2023 25/04/2023	20/05/2023 20/05/2023	Apply Apply
	Nandkumar Singh Chauhan Government Medical College, Khandwa					

c). After Clicking on link “**Apply**” for particular post, Kindly click on link “**Next**” after verifying all details appearing on Screen as below.



Advertisement for Internship Program

Personal Details

Profile Id	1064221002931	Applicant's First Name	FN LN /	Pic
Father's Name	TEST	Mother's Name	TEST	
Date of Birth (dd/mm/yyyy)(As per class 10th mark sheet or birth certificate)	13/07/1984	Date as on 20/05/2023 (Minimum 18 Years)	38 Years 10 Months 7 Days	
Gender	पुरुष (M)	Category	अनारक्षित (UR)	
Domicile State	Madhya Pradesh			

Marital Status

Are you married?	नहीं(No)	Spouse Name	
Date of marriage if the applicant is married (dd/mm/yyyy)	--	Number of surviving children	
Date of Birth of Last Child (dd/mm/yyyy)	--	Is Your Last Child Birth Twins/Multiple?	नहीं(No)

Handicapped Details

Are you a handicapped (Minimum 40 percent)	नहीं(No)	If yes, type of disability	
If the applicant is locomotor disabled, its type	-		

Contact Details

Present Address

Address	test test				
State	PUNJAB	District	FEROZEPUR	Pin Code	152002

Permanent Address

Address	test test				
State	PUNJAB	District	FEROZEPUR	Pin Code	152002
Mobile No	XXXXXX9999	Email	XXXXX@gmail.com		

Qualification Details

Qualification	Passed Exam Name	Subject	Course Type	Pass Year	University / Board Name	Roll No.	Course System	Obtained Marks/Points	Total Marks/Points	Percent %
HSC	10th (High School Certificate)	General - All Subjects	Full Time	2002	PSEB	11111	MARKS	400	500	80.00
HSSC	11th / 12th (Higher Secondary School Certificate)	Arts	Full Time	2004	PSEB	2222	MARKS	250	300	80.03

Next

d). After Clicking on link “**Next**”, Kindly Fill the all require fields and upload documents in “Application Form” as shown on below Screen and “**Submit**”.

Fields will be shown as per the advertisement publish by respective Department.

* marked fields are mandatory.

Post Code	Post Name and Eligibility
P01	Junior Engineer BE - Bachelor of Engineering Civil Engineering AND HSC AND HSSC OR HSSC AND HSC AND BTech - Bachelor of Technology Civil Engineering OR BE - Bachelor of Engineering Civil Engineering AND HSC AND PPT - Pre polytechnic Exam Civil Engineering OR PPT - Pre polytechnic Exam Civil Engineering AND HSC AND BTech - Bachelor of Technology Civil Engineering OR DPCV - Diploma in Civil Engineering AND HSC

Examination Centers

Exam Center* --Select Center 1-- --Select Center 2-- --Select Center 3-- --Select Center 4--

Relaxation Details

Are You Serving Employee Of State Or It's Corporation/Board Or Similar Entities As A Regular Employee? (Only For MP Domicile)* ☐ NO ☐ YES

Are You Working As Contractual Employee in MPIDC? (Only For MP Domicile)* ☐ NO ☐ YES

Are you Ex-Servicemen Candidate?(Only For MP Domicile)* ☐ NO ☐ YES

Eligibility Details

Qualification* --Select--

Attachments

10th (HSC) Marksheet* Choose File No file chosen Maximum size limit 200KB & only JPG format allowed	12th (HSSC) Marksheet Choose File No file chosen Maximum size limit 200KB & only JPG format allowed
All Essential Qualification Certificate/Marksheet* Choose File No file chosen Maximum size limit 1.5MB & only PDF format allowed	Photo Identity & Address Proof Document* Choose File No file chosen Maximum size limit 1.5MB & only PDF format allowed
Certificate Of Serving Employee Of State Or It's Corporation/Board Or Similar Entities As A Regular Employee* Choose File No file chosen Maximum size limit 200KB & only JPG format allowed	Certificate Of Working As Contractual Employee in MPIDC* Choose File No file chosen Maximum size limit 1.5MB & only PDF format allowed
Ex-Serviceman Certificate (if any)* Choose File No file chosen Maximum size limit 200KB & only JPG format allowed	

☐ I hereby declare that in the event of information being found to be untrue, my application can be cancelled and legal action can be taken against me. *

Submit
Back

e). After Submitting the Application, Candidate will have to make payment successfully by clicking on link “**Payment**”. (Screen will be looked as below):

Personal Details						Photo Signature				
Profile Id	1064221002931	Applicant's Name	FN LN /							
Father's Name	TEST	Mother's Name	TEST							
Date of Birth (dd/mm/yyyy)(As per class 10th mark sheet or birth certificate)	13/07/1994	Date as on 01/01/2023	28 Years 5 Months 19 Days							
Gender	पुरुष (M)	Category	अनारक्षित (UR)							
Domicile State	Madhya Pradesh									
Marital Status										
Are you married?	नहीं(No)		Spouse Name							
Date of marriage if the applicant is married (dd/mm/yyyy)	--		Number of surviving children							
Date of Birth of Last Child (dd/mm/yyyy)	--		क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है?		नहीं(No)					
Handicapped Details										
Are you a handicapped (Minimum 40 percent)	नहीं(No)		If yes, type of disability							
If the applicant is locomotor disabled, its type	-									
Contact Details										
Present Address										
Address	test test									
State	PUNJAB	District	FEROZEPUR	Pin Code	152002					
Permanent Address										
Address	test test									
State	PUNJAB	District	FEROZEPUR	Pin Code	152002					
Mobile No	XXXXXX9999	Email	XXXXX@gmail.com							
Qualification Details										
Qualification	Passed Exam Name	Subject	Course Type	Pass Year	University / Board Name	Roll No.	Course System	Obtained Marks/Points	Total Marks/Points	Percent %
HSC	10th (High School Certificate)	General - All Subjects	Full Time	2016	sdsfsf	34343	CGPA	1000	1200	80.00
Diploma	DPCV - Diploma in Civil Engineering	fdfdf	Full Time	2019	sdsfsd	3434	MARKS	1200	1400	90.00
Examination Centers										
Exam Center	1.BHOPAL 2.GWALIOR 3.UJJAIN 4.SATNA									
Payment Details										
Application No.	91230000976		Payment Status		Unpaid					
MPOnline GST No. (GSTIN)	23AAECM7539B1ZQ		Exam Fee				₹ 0			
Department Fee	₹ 0		GST (Exclusive)				₹ 91.8			
Portal Fee	₹ 510		Total Fee				₹ 601.8			
Post Details										
Selected Post/Preference	Post Code		Post Type		Post Name					
	P01		Direct		Junior Engineer					
Relaxation Details										
Are You Serving Employee Of State Or It'S Corporation/Board Or Similar Entities As A Regular Employee? (Only For MP Domicile)	NO		Are You Working As Contractual Employee in MPIDC? (Only For MP Domicile)		NO					
Are you Ex-Servicemen Candidate?(Only For MP Domicile)	NO									
Eligibility Details										
Qualification	B.E. IN CIVIL ENGINEERING									
Attachments										
10th (HSC) Marksheet								View		
12th (HSSC) Marksheet								View		
All Essential Qualification Certificate/Marksheet								View		
Photo Identity & Address Proof Document								View		
Declaration										
I hereby declare that in the event of information being found to be untrue, my application can be cancelled and legal action can be taken against me.										
Print								Payment		

f). After Successful payment, Candidate can check their Payment status, Application Receipt & Number of Application filled through link **“My Filled Applications /Receipt”** available on “Logged In page. (Screen).

